

**कार्यालय नजारत, जनपद न्यायालय, बाराबंकी।**  
**विज्ञप्ति -वास्ते इशितहार नीलामी निष्प्रयोज्य फोटो कापियर मशीन**  
**तोशीबा ई-स्टूडियो 163**

इशितहार नीलामी जनपद न्यायालय, बाराबंकी के नजारत स्टोर में उपलब्ध **निष्प्रयोज्य दो फोटो कापियर मशीन तोशीबा ई-स्टूडियो 163** के नीलामी सम्बन्ध में :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर, बाराबंकी में **निष्प्रयोज्य फोटो कापियर मशीन तोशीबा ई-स्टूडियो 163** की नीलामी दि० 01.02.2020 को समय 4:30 बजे सायं जिला न्यायालय परिसर स्थित न्यायालय कक्ष सं० 05, बाराबंकी में सम्पन्न होगी। बोली बोलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा-

1. नीलामी में वही व्यक्ति सम्मिलित होगा, जो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व नजारत में रु० 500/- बतौर धरोहर नगद रूप में जमा करेगा।
2. बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली जितने धनराशि में समाप्त होगी, उसे पूरा धन नगद रूप में तुरंत जमा करना होगा।
3. बोली बोलने वाले व्यक्ति को नगद धन जमा करने के पश्चात ही **निष्प्रयोज्य फोटो कापियर मशीन तोशीबा ई-स्टूडियो 163** को तुरंत उठाना होगा।
4. बोली प्रारंभ होने के पूर्व नीलामी की विषय वस्तु को नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति द्वारा न्यायालय के कार्य दिवस में निरीक्षण कर सकता है। बोली जो **निष्प्रयोज्य फोटो कापियर मशीन तोशीबा ई-स्टूडियो 163** जहाँ है जैसी है उसी के आधार पर प्रारम्भ होगी।
5. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया, बाराबंकी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी व्यक्ति की बोली को स्वीकार कर सकते हैं, निरस्त भी कर सकते हैं तथा दूसरे व्यक्ति को इसके विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

(संजय कुमार यादव - II)

सदस्य

नीलामी समिति /  
अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश  
बाराबंकी।

(डा० सत्यवान सिंह)

अध्यक्ष,  
नीलामी समिति /  
अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश  
बाराबंकी।

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अपलोड एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।**

1. न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेत।
2. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेत।
3. जिलाधिकारी / एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

**जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पां करने हेतु।**

1. कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।
3. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
4. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।
5. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी।
6. कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी बाराबंकी।
7. कार्यालय जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी।
8. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां करने हेतु।